(ग) यदि नहीं, तो सरकार हमारी प्रसारण सेवा तथा दूरदर्शन केन्द्रों को प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु सक्षम बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दूरदर्शन ने हाल के वर्षों में भरपूर प्रगति की है। इसके पास अब 18 चैनल हैं जिन पर प्रति सप्ताह 1300 घंटों से अधिक के कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता है। दूरदर्शन का मुख्य चैनल डी०डी०-1, 85.4% जनसंख्या को कवर करता है। इनसैट-2 बी के जरिए समग्र देश में उपलब्ध होने के अतिरिक्त, डी०डी०-2 चैनल अब स्थलीय रूप से 41 शहरों में तथा डी०डी०-3 चैनल 4 महानगरों में उपलब्ध है।

Recommendation of Raja Chelliah Committee

125. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of recommendations made by Raja Chelliah Committee on tax reforms have not been implemented by Government so far;

(b) if so, the details of such recommendations and the reasons for their non-implementation; and

(c) by when these recommendations are likely to be implemented to bring reforms in our tax system?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (c) Chelliah Committee's recommendations on tax reforms are to be given effect in a phased manner. Most of these recommendations have already been implemented through Finance Acts of the preceding four years. No time frame can be set however for completing this exercise as tax reforms are an on-going process.

SCICI to set up Banking Operations

126. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether SCICI has sought permission to set up Banking Operations;

(b) if so, the details thereof;

(c) the objectives of financial institutions like SCICI and ICICI entering the Banking Sector; and

(d) whether Government will enquire into the long term impact of such dilution of objectives of financial institutions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI-PROSAD PAL) (a) and (b) No, Sir. However, SCICI has contributed to the extent of 25% in the initial share capital of a commercial bank viz., ICICI Banking Corporation Limited promoted by ICICI.

(c) and (d) In terms of the quidelines issued by Reserve Bank of India in January 1993, institutions and others are permitted to set up banks in the private sector subject to certain terms and conditions. ICICI has *inter alia*, reported that in order to achieve the totality of services for corporates and non-corporates, ICICI thought it fit to set up a commercial bank.

Studios of AIR

127. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the number of high, medium and short studios of All India Radio (AIR) opened in the country during the current financial year;

(b) the location of these studios of AIR; and

(c) the dates when these studios have been opened?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI P.M. SAYEED): (a) to (c) During the current financial year, All India Radio set up 7 multi-purpose studios, 1 Type-I studio and 1 Type-IV studio as indicated below:—

Multi-purpose Studios
Daman (17.5.95), Rourkela (24.5.95), Jowai (2.12.95), Joranda (3.10.95), and Puri (29.6.95), Diphu (4.2.96), Mokokchung (26.1.96)

Type-I Studio
Gangtok (22.5.95)

Type-IV Studio
Hyderabad (24.11.95)

Securities Audit for Companies

128. SHRI T. VANKATRAM REDDY:
SHRI G. PRATHAPA REDDY:

Will the Minister of FINANCE be pleased to statae:

(a) whether Government propose to make Securities Audit for companies whose shares are listed or are being listed on Stock Exchange to prevent malpractice;

(b) if so, the details of the proposals in this regard; and

(c) the time by which it is likely to be implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBIPROSAD PAL): (a) There is no such proposal at present.

(b) and (c) Do not arise in view of answer to (a) above.

दूरदर्शन पर दिखाये जाने वाले कार्यक्रमों के चयन में अनियमितता

129. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दूरदर्शन पर दिखाये जाने वाले कार्यक्रमों के चयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो जून, 1990 से जून, 1995 के दौरान प्राप्त हुई ऐसी शिकायतों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या उक्त शिकायतों में से कुछ शिकायतें केन्द्रीय जांच ब्यूरों के पास जांच हेतु भेजी गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी जांच का क्या परिणाम निकला है;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है;

(च) क्या कार्यक्रमों के चयन के संबंध में कोई निर्देश दिये गये है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद): (क) और (ख) विभिन्न केन्द्रों एवं दूरदर्शन महानिदेशालय में समय-समय पर ऐसी शिकायतें प्राप्त होती रहती है। गम्भीर प्रकृति एवं घोर प्रक्रियात्मक अनियमितताओं की सूचक शिकायतों की विभागीय तौर पर जांच की जाती है तथा जब कभी शिकायतें प्रमाणित हो जाती है तो मामले को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी०बी०आई०) को भेज दिया जाता है। इस अवधि के दौरान प्राप्त हुई ऐसी शिकायतों का राज्यवार ब्यौरा निम्न प्रकार से है:—

कर्नाटक-3
गुजरात-2
दिल्ली-3
पंजाब-1
आन्ध्र प्रदेश-1

(ग) से (ङ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को तीन शिकायतें भेजी गयी थी। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने एक मामले को यह सुझाव देते हुए वापस कर दिया है कि विभागीय जांच की जाए तथा दूसरे में, उन्होंने आरोप में कोई सच्चाई नहीं पायी, तीसरे मामले में उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(च) से (ज) विभिन्न श्रेणियों में कार्यक्रमों का चयन करने के लिए मार्ग-निर्देश कई वर्षों से विद्यमान हैं।